दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि.) सं. 5714/2007

निर्णय की तिथि: 12.05.2008

महेंद्र सिंह (पूर्व कॉन्स्टेबल) ... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री बिश्राम सिंह, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य ... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री बरखा बब्बर, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल

माननीय न्यायमूर्ति श्री मूल चंद गर्ग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

न्या. संजय किशन कौल (मौखिक)

1. नियम डी.बी.

2. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, याचिका को अंतिम निपटान के लिए लिया जाता है।

3. याचिकाकर्ता 1.10.1992 को बीएसएफ़ में कॉन्स्टेबल के रूप में भर्ती हुआ था। जब याचिकाकर्ता 25.10.1992 को ड्यूटी पर तैनात था, तो एक घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के विरुद्ध 8.12.2003 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। साक्ष्य का एक अभिलेख तैयार किया गया जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि यह उप निरीक्षक छत्तर सिंह और

एचसी बाला राम थे जिन्होंने याचिकाकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर हमला किया। 30.5.2004 को एक नए आरोप पत्र पर, समरी न्यायालय बल की कार्यवाही आयोजित की गई। 7.6.2004 को, याचिकाकर्ता ने कथित रूप से उप पर लगे चार आरोपों में से पहले तीन में 'दोषी' होने का अभिवचन दिया जबकि चौथे आरोप में 'निर्दोष' होने का अभिवचन दिया।

4. चौथे आरोप पर साक्ष्य दर्ज किए गए और याचिकाकर्ता को सभी चार आरोपों में दोषी पाया गया तथा सेवा से हटाने का दंड सुनाया गया। हालाँकि, बीएसएफ के डीआईजी ने पहले तीन आरोपों में दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन चौथे आरोप में दोषसिद्धि को साक्ष्य के आधार पर अपास्त कर दिया, किंतु दंड में हस्तक्षेप नहीं किया।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने महानिदेशक, बीएसएफ़ के समक्ष एक कानूनी याचिका दायर की, जिसे 16/17 दिसंबर, 2004 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की, जिसे 1.3.2006 को अस्वीकार कर दिया गया।

6. इसके बाद याचिकाकर्ता ने रि.या. (सि.) संख्या 8100/2006 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उक्त रिट याचिका को खंड पीठ के दिनांक 6.3.2007 के आदेशों द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, जिसके अंतर्गत 16/17 दिसंबर, 2004 और 1.3.2006 के दो आदेशों को अपास्त कर दिया गया था और महानिदेशक, बीएसएफ़ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर कानूनी याचिका पर बीएसएफ़ अधिनियम, 1968 की धारा 117 (इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार नए सिरे से विचार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए कहा गया था। महानिदेशक, बीएसएफ़ को दंड की आनुपातिकता के प्रश्न की परीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया था।

7. इसके बाद महानिदेशक, बीएसएफ़ ने 10.5.2007 को एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने पाया कि तीनों आरोपों पर न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे और विचारण की कार्यवाही में कोई दोष या अवैधता नहीं थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है।

8. एसएसएफ़सी की कार्यवाही हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। कार्यवाही से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने शुरू में अपने लिखित बयान और साक्ष्य के अभिलेख में दावा किया था कि वह किसी भी आरोप का दोषी नहीं है। हालाँकि, एसएसएफ़सी की कार्यवाही में 'दोषी' होने का अभिवाक् दर्ज किया गया है। इसके बाद, चौथे आरोप को साबित करने के लिए छह साक्षियों की परीक्षा की गई, जहाँ याचिकाकर्ता ने 'निर्दोष' होने का अभिवचन दर्ज किया था। इसके बाद पहले, दूसरे और तीसरे आरोप के संबंध में 'दोषी' होने के अभिवचन की आगे की कार्यवाही दर्ज की गई है और यह उल्लेख किया गया है कि निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दोषी होने के अभिवचन का अर्थ समझाया है और यह कि वह आरोपों की प्रकृति को समझता है। जो कुछ दर्ज किया गया है उसका सार लगभग वही है जो सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के नियम 142 (इसके पश्चात् 'उक्त नियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार अपेक्षित है। नियम 142 निम्नानुसार है:-

> "**142. "दोषी" या "निर्दोष" होने का का सामान्य अभिवाक्**। - **(1)** अभियुक्त व्यक्ति का "दोषी" या "निर्दोष" होने का अभिवाक् (या यदि वह अभिवाक् करने से इंकार करता है या अभिवाक् करने में समझदारी नहीं दिखाता है), तो प्रत्येक आरोप पर "निर्दोष" होने का अभिवाक् दर्ज किया जाएगा।
>
> 2) यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति "दोषी" होने का अभिवचन करता है, तो उस अभिवचन को न्यायालय के निष्कर्ष के रूप में दर्ज किया जाएगा; किंतु उसके दर्ज किए जाने से पूर्व, न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस आरोप की प्रकृति को समझता है जिसके लिए उसने दोष स्वीकार किया है और उसे उस अभिवचन के सामान्य प्रभाव के बारे में, तथा विशेष रूप से

उस आरोप के अर्थ के बारे में, जिसके लिए उसने दोष स्वीकार किया है, तथा दोष स्वीकार करने की अभिवचन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अंतर के बारे में सूचित करेगा और उसे उस अभिवचन को वापस लेने की सलाह देगा यदि अभिलेख या साक्ष्य के सार (यदि कोई हो) से या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को दोष स्वीकार न करने का अभिवचन करना चाहिए।

3) जहाँ कोई अभियुक्त व्यक्ति वैकल्पिक रूप से लगाए गए पहले दो या अधिक आरोपों में दोषी होने का अभिवचन देता है, न्यायालय उप-नियम (2) का अनुपालन किए जाने के बाद और अभियुक्त को वैकल्पिक आरोप या आरोपों पर आरोपित किए जाने से पहले, ऐसे वैकल्पिक आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है जो उस आरोप का अनुसरण करते हैं जिसके लिए अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन दिया है, अभियुक्त से उस पर अभिवचन देने की आवश्यकता के बिना, और उस आशय का एक अभिलेख न्यायालय की कार्यवाही में बनाया जाएगा।

(ज़ोर दिया गया)

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उक्त नियमों के नियम 142 के उप-नियम (2) के अनुसार, 'दोषी' होने का अभिवाक् दर्ज किया जाएगा, लेकिन 'इसे दर्ज किए जाने से पहले', अभियुक्त को आवश्यक नोटिस दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह अभिवचन दिया गया है कि, सबसे पहले, याचिकाकर्ता की ओर से 'दोषी' होने का अभिवाक् साक्ष्य के अभिलेख में पहले की कार्यवाही और उसके लिखित बयान को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से असंभव है और दूसरी बात यह है कि उक्त नियमों के नियम 142 के उप-नियम (2) के अंतर्गत परिकल्पित ऐसी कोई सावधानी याचिकाकर्ता को संबोधित नहीं की गई थी और चौथे आरोप पर साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही ऐसी सावधानी बढ़ाए जाने का दावा किया गया है। यह भी पाया गया है कि 'दोषी' होने के अभिवाक् को स्वीकार करने वाले याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही एसएफ़सी धारक व्यक्ति की स्वयं की लिखावट में सावधानी है।

10. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि **चोखा राम** बनाम **भारत संघ एवं अन्य;** 110 (2004) डीएलटी 268 में इस न्यायालय के खंड पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं और सेना के विपरीत ऐसा कोई परिपत्र नहीं है, जिसमें चेतावनी देने के बाद एसएफ़सी की अपनी लिखावट में 'दोषी' या 'निर्दोष' होने का अभिवाक् दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

11. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात्, हम इस विचारित राय पर पहुँचे कि उक्त नियमों के नियम 142 के उप-नियम (2) के अध्यादेश को वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के 'दोषी' होने का अभिवाक् दर्ज करने से पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए थी, न कि चौथे आरोप के संबंध में साक्ष्य, यदि कोई हो, दर्ज करने के पश्चात् औपचारिकता के रूप में, जहाँ याचिकाकर्ता ने 'निर्दोष' होने का अभिवाक् दिया था। साक्ष्य के अभिलेख में याचिकाकर्ता का मत और उसका लिखित बयान भी प्रत्यर्थीगण के मत से मेल नहीं खाता है कि याचिकाकर्ता ने पहले तीन आरोपों में 'दोषी' होने का अभिवचन दिया था।

12. हम यह भी उल्लेख करेंगे कि यह वांछनीय है कि महानिदेशक, बीएसएफ़, सेना के दिशा-निर्देशों के समान ही 'दोषी' होने का अभिवाक् दर्ज करने के तरीके के संबंध में निर्देश जारी करें, क्योंकि ऐसे मामलों में गंभीर परिणाम सामने आते हैं और जिस माहौल में कर्मियों पर विचारण चलाया जाता है, वह भी गंभीर है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियम के निर्देशों का अक्षरशः और भावना से पालन किया जाए और अभियुक्त व्यक्ति को दोषी होने के अभिवचन देने के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी हो।

13. इस प्रकार हमारा मत है कि प्रथम तीन आरोपों के संबंध में दर्ज 'दोषी' होने का अभिवाक् बरकरार नहीं रह सकता और जहाँ तक चौथे आरोप का संबंध है, वह याचिकाकर्ता के पक्ष में पाया गया है।

14. उपरोक्त का परिणाम यह है कि दिनांक 10.5.2007 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित किया जाता है और याचिकाकर्ता के अभिवाक् को पहले तीन आरोपों के संबंध में 'निर्दोष' के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थीगण को विधि के अनुसार पहले तीन आरोपों की सुनवाई के संबंध में कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी। याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को अपास्त किए जाने को ध्यान में रखते, याचिकाकर्ता परिणामी लाभों का हकदार होगा।

15. याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारगण अपने जुर्माने स्वयं वहन करेंगे।

न्या. संजय किशन कौल

12 मई, 2008 न्या. मूल चंद गर्ग

वीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*